फर्द अहकाम

जगदीश बनाम ब्रजमोहन

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट, पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)

प्रकरण संख्या .....12.../2021 पी.एफ 251 ए

क्र. संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	17.6.25	बकुलाये फरीकेन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दोरे/अवकाश/प्रशा.कार्यों में व्यस्त है पत्रावली दिनांक 01.7.25 को पेश	
	01/07/25	पत्रावली पेश। ए.ओ.डब्ल्यू.एन. एवं उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार पावटा के जाप्ता रिपोर्ट का अवलोकन करने पर पाया कि प्रार्थीद्वारा आ.व.नं. 236,237 वाले मांगूवाट से लगते पाले छेद रास्ता ख.नं. 234, 235 में लगाया गया है जबकि कब्जे पर प्रार्थी का खेत खसरा नं. 237, ख.नं. 68,69/70 में खुदा है। ख.नं. 69 जाट खाड़ू पर स्थित है तथा ख.नं. 68,69 स्वयं परिवादी के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार परिवादी की स्वयं की भूमि रास्ते में आती है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का पी.एफ बसहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो बाद दाखिल दफ्तर हो।	

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली-बहरोड़)